

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 14

दिनांक 22/07/2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- खरवा प्रथम

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि			
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार के पत्रांक मय दिनांक	मसूदा नम्बर	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00165	3504 13.07.2020		जसवंतपुरा लहरी	6868/6701	1.6908 है०	बरडा	6868/6701 /3	0.3317 है०	गै.मु. रास्ता
2	2020/00166	3505 13.07.2020		जसवंतपुरा लहरी	6329	1.4077 है०	गै.मु. चटान	6329/3	0.2427 है०	गै.मु. रास्ता
3	2020/00166	3505 13.07.2020		जसवंतपुरा लहरी	6331	1.5533 है०	गै.मु. चटान	6331/3	0.2427 है०	गै.मु. रास्ता
4	2020/00167	3506 13.07.2020		जसवंतपुरा लहरी	6872/6749	23.3720 है०	गै.मु. चटान	6872/6749 /3	0.2933 है०	गै.मु. रास्ता
5	2020/00168	3507 13.07.2020		खरवा	4810/4474	2.7182 है०	बरडा	4810/4474 /2	0.5097 है०	गै.मु. रास्ता
6	2020/00169	3508 13.07.2020		खरवा	2230	0.1699 है०	बा० 3	2230/1	0.0506 है०	गै.मु. रास्ता
7	2020/00169	3508 13.07.2020		खरवा	4712/2421	3.8508 है०	बरडा	4712/2421 /1	0.2023 है०	गै.मु. रास्ता

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

